

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 389] No. 3891 नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA28, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

का.आ. 548(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में विणित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निप्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सराकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उप प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, संडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), के अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), तरीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 17 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"17 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44ए सं. 54, सं. 54ए, सं. 54बी , सं. 150 सं. 154, नई रारा मिजोरम राज्य सरकार" सं. 6, 102बी, 302, 306ए और नया रारा सं. 502ए के उतने भाग मिजोरम राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/12/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड एम)

टिप्पण:—मूल अधिसूचना को का. आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का. आ. 2787 (अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

839 GI/2015 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2015

S.O. 548(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

MADE D

		IABLE	
_	"17	So much of National Highways No.44A, No. 54, No. 54A, No.54B,	State Government of
		No. 150, No. 154, new NH No. 6, 102B, 302, 306A and new NH	Mizoram".
_		No. 502A as are situated within the State of Mizoram.	
			[F. No. NH-14013/12/2013-P&M]
			MAYA PRAKASH, Director (P & M)

Note:—The principal notification was published vide number S.O.I 096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 2787 (E), dated the 29th October, 2014.